rately, or along with those for regular students?

Dr. K. L. Shrimali: All these are matters of detail, which will have to be examined.

Shri Yallamanda Reddy: Are Government aware of the fact that in some of the States, the Government departments are not allowing their servants to attend evening classes?

Mr. Speaker: Now we cannot go into them. Each State cannot be taken up separately.

Shri Yallamanda Reddy: Some of the States are not allowing their employees to attend these classes. Has that fact been brought to the notice of Government and, if so, what action is proposed to be taken?

Dr. K. L. Shrimali: The hon, Member is asking questions which deal with State Governments. This is a matter for the State Governments to decide. As far as the Government of India is concerned this facility is provided and it is hoped it will be taken advantage of by those people who are in jobs. The correspondence courses are meant for them.

Mr. Speaker: He says some of the States refuse permission to their employees to attend evening classes

each State Government will have to examine the situation. There may be certain situations in which they may refuse permission. I cannot give a general answer to this question. It is a matter for the State Governments.

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के बीच सीमा विवाद, जिसमें प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता करना मंजूर कर लिया था, निबटाने में क्या कठिनाइयां हैं :

- (ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जब्त कर लिया है; और
- (ग) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें श्रपनी मजदूरी के बदले में मिला हुआ अनाज अपने राज्य में ले जाने की सुविधाएं देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

- (क) पक्की सीमा निर्धारित करने के विषय में दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच मतभेद था। बिहार सरकार के विचार में नदी की घार की सालाना जांच के ब्राधार पर मीमा निर्धारण का वर्त्तमान सिद्धांत ही ठीक था। उत्तर प्रदेश सरकार पक्की सीमा के पक्ष में थी।
- (स) यह सच नहीं है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जब्त कर लिया है, किन्तु कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बिल्या और गाजीपुर जिलों के २५ व्यक्तियों के खिलाफ ऐमेन्सिशयल कमीडिटीज ऐक्ट की धारा ७--- के अधीन बिहार से उत्तर प्रदेश को धान ले जाने के जुमें में मुकदमा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार को लिखा है कि ये लोग खेतिहर मजदूर थे जो अपनी मजदूरी का धान ले जा रहे थे। बिहार सरकार मुकदमा वापस लेने के प्रकार पर विचार कर रही है।

(ग) बिहार खाद्याञ्च (यातायात नियंत्रण) श्रादेश १६५७ की घारा (३) के श्रधीन श्रधिकृत प्रार्थी राज्य सरकार या उसके नियुक्त श्रधिकारी द्वारा जारी किये गये परिमट के श्रनुसार बिहार से बाहर कहीं भी श्रनाज ले जा सकते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय: मैं ने प्रश्न यह किया था कि उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार के मीमा बिवाद को तय करने के लिये प्रधान मंत्री ने मध्यस्था की है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दोनों राज्य मरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई वार्ता की है या नहीं ?

गृह-कार्य मंत्री (भी साल बहादुर कास्त्री): जी हां, प्रधान मंत्री जी की कुछ बातचीत हुई थी दोनों मुख्य मंत्रियों से भ्रौर उन्होंने एक सज्जन को इस काम के लिये नियुक्त किया है कि वह मध्यस्था करें। श्राबिट्रेशन करें। वह इस काम को श्रपने हाथ में लेंगे।

ग्रध्यक्ष महोदय श्रव श्राप स्वाब करें।

श्री सरजू पाण्डेय: मैं गवाल कर रहा हूं। मैं जानना चाहना हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ में कोई ऐसा डायरेक्टिव दिया गया है बिहार सरकार को कि वह खेन मजदूरों की थोड़ी बहुन जांच करके उनकों छोड़ दिया करें और वहां से धान, मजदूरी के रूप में जो वे लाते हैं, उसे ले आने दिया करें ? क्या ऐसा कोई डारेक्टिव बिहार सरकार को दिया गया है या नहीं ?

भी लाल बहादुर जास्त्री: डायरे किटव देने की यह बात नहीं है। उनको यह सलाह दी गई है कि जहांतक हो सके मजदूर जो जाते हैं और उनको जो मजदूरी मिलती है प्रनाज के रूप में, उसको वहां से लाने में उनके रास्ते में कोई खास दिक्कत पैदा न की जाये। लेकिन उनके कुछ कायदे कानून हैं जिसमें कुछ परमिट वगैरह की बात है। ग्रगर बह चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तब उसमें कुछ न कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है।

12124

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: मैं जानना चाहना हूं कि यह जो भाग विवादास्पद है, इसमें कितने गांव और कितना भूभाग भ्रा जाता है? साथ ही जब तक इस विवाद का कोई हल न निकल भ्राये तब तक के लिये इस क्षेत्र के निवासियों की समस्या का समाधान करने के लिये क्या यह उचित नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार भ्रपनी देखरेख में उतने भूभाग को लेले ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: इसको माननीय मदस्य करीय कीय चीन और भारत के बार्डर कां्रुं प्रश्न बना बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसे हल होना चाहिय, यह जरूरी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मेरे पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह कितना भूभाग है ग्रीर इसमें कितने गांव ग्राने हैं?

श्रध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल श्रापने ऐसा कर दिया कि उन्होंने समझ लिया कि श्रपने पहले भाग के बारे में इतने सीरियस नहीं हैं।

श्री: राम सेवक यादव : जिनको प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिये नियुक्त किया है, . उनका नाम क्या है ग्रीर यह मीमा विवाद कितने दिन के ग्रन्दर हल हो जायेगा ?

श्री लाल बहाबुर शास्त्री: वह सज्जन श्री सी॰एम॰ त्रिवेदी हैं जो प्लानिंग कमिशन के मैम्बर हैं। ग्रभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा यह कहना कि कब यह खत्म हो जायेगा, बहत जल्दी है।

Shri Bhagwat Jha Azad: May 1 know whether this Arbitrator would hear the arguments on the Government basis of meeting the officials and Ministers or sit like a court and hear arguments from professional lawyers on behalf of the Government?

Shri Lal Bahadur Shastri: That is going into too much detail. He will perhaps decide for himself. I do not think he is going to function there as a law court, but he will certainly meet the officials, non-officials and he might also visit the spot and meet the people there.

Shri Basappa: May I know whether the mediation of the Prime Minister in such matters is confined only to U.P. and Bihar or whether it will also be extended to Mysore and Maharashtra?

Mr. Speaker: That is a different thing.

श्री भक्त दर्शन : क्या मध्यस्थ को नियुक्त करने से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारों की स्वीकृति ले ती गई है कि जो भी निणय दिया जाये. उसको वे मान लेंगे और उस पर अमल करेंगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : स्रगर एसा नहीं है तो उन्हें स्राबिट्रेशन की बात प्रधानमंत्री से कहनी ही नहीं चाहिये थी । जब यह कहा जाये कि स्राबिट्रेशन स्राप कर दें तो इसके जो फैसला होगा वह मान्य होगा ।

Shri Jashvant Mehta: What are the points of reference to this Aribitrator?

Shri Lal Bahadur Shastri: It is a long one. The terms of reference will be:

(1) Whether the principle of fixed boundaries between the aforesaid districts should be accepted? If so, whether they should be determined in the manner suggested at the 1952 Conference, or in a different way?

- (2) If the principle of fixed boundaries is not advisable, what improvement should be made in the existing principle based on the deep-streams of the rivers Ganges and Ghagra?
- (3) Whether, in the opinion of the Arbitrator, there can be any other solution to the question of the boundaries between the said districts? If so, what?

श्री त्यागी: इन दोनों गवर्तमैट्स ने प्रधान मंत्री को मध्यस्थ स्वीकार किया था या उनके नामिनी को स्वीकार किया था? प्रधान मंत्री जी ने क्या यह काम प्रपने ऊपर लिया थाया यह कहा था कि वह कोई मुक्त्यार नियक्त कर दें ग्रपनी तरफ से ग्रीर उसको यह काम सींप देंगे?

श्री लाल बहादुर शास्त्री जिस आदमी पर बहुत अधिक लोगों का विश्वास होता है वह अगर अपने काम में किसी की मदद ले ले तो वह भी विश्वास की बात है। 'उनको पूरा विश्वास है और इसको वे पसन्द करते हैं। फैसला तो प्राइस मिनिस्टर का होगा लेकिन जिस की मदद वह लेना चाहते हैं. लेने हैं।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखाना

*१४६७ र्श्नी भक्त दर्शन : डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी:

क्या **इस्पात स्रोर भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में मथुरा व आगरा के बीच एक रामायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या उमकी लागत,
 उत्पादन-क्षमता, तथा उसकी स्थापना करने
 वाली फर्म का ब्योरा बताने वाला एक विवरण